Rajasthan State Mines & Minerals Limited
(A Government of Rajasthan Enterprise)
Corporate Office : 4, Meera Marg, Udaipur - 313 001
Registered Office : C-89-90, Lal Kothi Scheme, Jaipur, CIN-U14109RJ1949SGC000505
Phone : 0294-2428763/64/65/66/67, Fax : 0294-2428770/2428739
e-mail : info.rsmml@rajasthan.gov.in, Website: www.rsmm.com

क्रमांकः–आरएसएमएमएल / सीओ / पर्स / 10(1) / 2015–1084 दिवस 91 सप्ताह 14
दिनांकः– 31.03.2020

आदेश

अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह (ग्रुप–9) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.33(2) गृह–9 / 2019 जयपुर दिनांक 26.03.2020 की अनुपालना में राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड के समस्त कार्यालय यथा कॉर्पोरेट कार्यालय, रजिस्टर्ड कार्यालय, एसबीयू एण्ड पीसी कार्यालय, सीईयू'एस कार्यालय एवं समस्त खदानें दिनांक 01.04.2020 से 14.04.2020 तक पूर्णतः बंद रहेंगे।

इस दौरान समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों की स्थिति घर से कार्य करने (WORK FROM HOME) की रहेगी।

इस दौरान किसी भी अधिकारी / कर्मचारी को मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी तथा कर्मचारी मोबाईल, ई–मेल, वॉट्सएप पर उपलब्ध रहेंगे एवं घर से कार्य करने के दौरान कार्यालय समय में घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।

खदानों की सुरक्षा तथा विभिन्न प्लान्ट की दैनिक रख–रखाव बाबत् तकनीकी आवश्यकतानुसार आवश्यक मैकेनिकल / इलेक्ट्रीकल / गार्डस् इत्यादि की ड्यूटी संबंधित समूह महाप्रबन्धक / प्रमुख एवं प्रभारी द्वारा अपने स्तर से लगायी जा सकेगी।

प्रधान खनिज के लिग्नाईट, लाईम स्टोन इत्यादि के खनन् पट्टों जिनसे खनिज की आपूर्ति के आधार पर विभिन्न प्लाण्ट संचालित हो रहे है, के संचालन की अनुमति बाबत् राजस्थान सरकार, खान (ग्रुप–2) विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक प.14(10) खान / (ग्रुप–2) / 2020 (विशेष) जयपुर दिनांक 30.03.2020 द्वारा निर्देश जारी किये गये है (प्रतिलिपि सलंग्न)। सम्बन्धित एसबीयू एण्ड पीसी के प्रमुख एवं प्रभारी उक्त पत्र में दिये गये निर्देशों की पालना में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के तहत् एवं उद्योग विभाग / सम्बन्धित अधीक्षण खनि अभियंता एवं स्थानीय जिला प्रशासन से सक्षम अनुमति प्राप्त करके संचालन हेतु अग्रिम कार्यवाही करें।

उक्त आदेशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावें।

सोमनाथ मिश्रा(आई.ए.एस.)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, श्रीमान् मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष महोदय, आरएसएमएमएल।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, गृह (ग्रुप–9) विभाग, राज.।
3. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आरएसएमएमएल, उदयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार / समस्त विभागाध्यक्ष, कॉर्पोरेट कार्यालय आरएसएमएमएल, उदयपुर।
5. समूह महाप्रबन्धक, एसबीयू एण्ड पीसी–रॉक फॉस्फेट–झामरकोटड़ा / प्रमुख एवं प्रभारी, लाईमस्टोन–जोधपुर / जिप्सम–बीकानेर / लिग्नाईट–जयपुर।
6. समस्त सीईयू'एस आरएसएमएमएल।
7. एमआईएस विभाग, कॉर्पोरेट कार्यालय, आरएसएमएमएल, उदयपुर।
8. गार्ड पत्रावली।

31/3/20
कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

राजस्थान सरकार
खान (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प.14(10)खान/ग्रुप–2/2020 (विशेष) जयपुर दिनांक 30.03.2020

निदेशक,
खान एवं भू विज्ञान विभाग,
उदयपुर।

विषयः गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश दिनांक 24.03.2020/25.03.2020 के क्रम में खान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 26.03.2020 को लॉकडाउन के संबंध में प्रसारित दिशा निर्देशों की पालना बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश दिनांक 24.03.2020/25.03.2020 तथा खान मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 26.03.2020 (प्रति संलग्न) के क्रम में राज्य में लॉकडाउन अवधि में खनन पट्टा/क्वारी लाईसेंस में खनन कार्य संचालित करने के संबंध में निम्न निर्देशों की पालना करवाये जाने का श्रम करावें:–

1. लॉकडाउन अवधि में अप्रधान खनिज के समस्त खनन पट्टे/क्वारी लाईसेंस/अन्य अनुमति (परमिट) में खनन कार्य तुरंत प्रभाव से बंद करवाया जावे। उक्त निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभागीय ऑन लाईन ई–रवन्ना/ई–टी.पी. तथा सभी एम्पेनेल्ड वे–ब्रिज को deactivate कर दिया जावे।

2. प्रधान खनिज के लिग्नाईट, ऑयरन ओर, लाईमस्टोन, लेड, जिंक, कॉपर इत्यादि के खनन पट्टे जिनसे खनिज की आपूर्ति के आधार पर विभिन्न प्लाण्ट संचालित हो रहे हैं, को छोडकर शेष खनन पट्टों में खनन कार्य तुरंत प्रभाव से बंद करवा दिये जावे। प्रधान खनिज के इन खनन पट्टों में खनन कार्य के संचालन की अनुमति गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में उद्योग विभाग/अन्य सक्षम विभाग द्वारा प्लाण्ट के संचालन हेतु दी गई अनमुति के आधार पर संबंधित अधीक्षण खनि अभियंता द्वारा दी जा सकेगी।

उक्त निर्देश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय,

(कमलेश सिंह चौहान)
संयुक्त शासन सचिव

Scanned by CamScanner